

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य विधि आलेख अधिकारी,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, विधायी प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 25 अगस्त, 2014

विषय: पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेतर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए संलग्न अलोटमेंट आईडी संख्या S1408070110 दिनांक 22 अगस्त, 2014 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न उल्लिखित मद में कुल ₹1,00,000.00 मात्र (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्त के साथ स्वीकृत करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्रम संख्या	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
01	06-अन्य भत्ते	100
कुल योग ₹ एक लाख मात्र		100

(धनराशि हजार ₹ में)

- पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
- उक्त मद में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
- धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत 06-अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 96NP/XXVII(5)/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 92/XXXVI(3)/वि0प्र0/2014-15/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
05. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
06. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (S058)

आवंटन पत्र संख्या - 92/XXXVI(3)/V.P./14-15

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1408070110

आवंटन पत्र दिनांक - 22-Aug-2014

HOD Name - Chief Legal Drafting Officer (4664)

1: लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें
090 - सचिवालय
00 - विधायी प्रकोष्ठ

00 -

12 - विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Non Plan Voted	
				योग
01 - वेतन	750000	0		750000
03 - महंगाई भत्ता	825000	0		825000
04 - यात्रा व्यय	10000	0		10000
06 - अन्य भत्ते	99000	100000		199000
08 - कार्यालय व्यय	25000	0		25000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	0		20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10000	0		10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0		15000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	150000	0		150000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1250000	0		1250000
22 - आतिथ्य व्यय विशेषक भत्ता आ	5000	0		5000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0		100000
42 - अन्य व्यय	50000	0		50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तन्त्रबन्धी	50000	0		50000
	3359000	100000		3459000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

100000

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव
विधायी एवं संसदीय कार्य
उत्तराखण्ड शासन